(Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)19/2008-III ,dated as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh,
Department of Panchayati Raj.

...

20020-178

NO. PCH-HA(1)19/2008-III ^ Dated Shimla-171 009, the 27/4/,2024.

NOTIFICATION

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2024 were notified vide this department notification of even number dated 19-02-2024 and published in Rajpatra of Himachal Pradesh on dated 28-02-2024 for inviting objections and suggestions from general public under the provision of section 186 of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, (Act No. 4 of 1994).

And whereas, no objection /suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, notified vide Notification No-PCH-HA(3)-1/94-19181-362 dated -25-11-1997 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on dated 25-11-1997, namely:-

Short title and Commencement	1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2024. (2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-gazette) Himachal Pradesh.
Amendment of rule 21.	2.	In rule 21 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997,(herein after referred to as the said rules),- (a) in sub-rule (1), for the words "a Pariwar Register", the words "Online Pariwar Register" shall be substituted ;

(b) For sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) The entries in the Online Pariwar Register, required to be prepared under sub-rule(1) shall be revised and all entries pertaining to births, deaths, marriages and transfer from other Panchayat / area shall be made in the register. No other addition or alternation may be made without any authenticated evidence. In the event of division of the family, separation of family may only be entered in the Online Pariwar Register on the decision of the Gram Sabha by passing a resolution by majority in its general or special meeting on an application made by the head of family concerned and recommendation of the concerned ward member. However, the Gram Sabha shall take into consideration the definition of the family as defined under clause (13-A) of section 2 of the Act while deciding the matter regarding division of family. The entries pertaining to a separate family on account of a division will be made immediately after the approval of Gram Sabha by mentioning the Resolution No. and Date of the resolution of the Gram Sabha. It shall be the duty of the Panchayat Inspector to verify these entries after satisfying himself about the reasons recorded by the Panchayat Secretary. He shall also put his digital signature on the goshwara prepared by Panchayat Secretary on Form 19-A:

Provided that no entry with regard to separation of family shall be made in the Online Pariwar Register unless the family so separated is having access to a toilet, and

(c) sub rules (3) and (4) shall be deleted/omitted and sub rules 5 and 6 shall be re-numbered as sub rules (3) and (4).respectively.

By order
Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

20020-178

Endst. No. PCH-HA(1)19/2008-III **Dated Shimla-171 009, the** 27/4/ **2024.**

Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. All the Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secy.(Law-Legn) to the Govt. of H.P.
3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
4. Joint Secretary (GAD) to the Govt. of H.P. with reference to Cabinet decision Item No. 11 dated 09-02-2024.
5. All the District Panchayat Officer-cum-Secretary, ZilaParishad H.P.
6. The Principals, PRTI, Mashobra, Thunag, Baijnath.
7. All the Block Development Officers-cum-Executive Officers of Panchayat Samitis in Himachal Pradesh.
8. e-gazzette.

Special Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्याः पीसीएच–एचए(1) 19/2008–III-20020-178- तारीख, शिमला–09 27/04/2024

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 19 फरवरी, 2024 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2024 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 28 फरवरी, 2024 को प्रकाशित किए गए थे;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (3)1/94–19181–362, तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(सामान्य) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 21 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 21 के उप–नियम (1) में,

(क) "परिवार रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर "ऑनलाइन परिवार रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;।

(ख) उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) उप–नियम (1) के अधीन तैयार किए जाने हेतु अपेक्षित ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियां पुनरीक्षित की जाएंगी और जन्म, मृत्यु, विवाह और अन्य पंचायत/क्षेत्र से अंतरण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियां रजिस्टर में की जाएंगी। कोई अन्य परिवर्धन या परिवर्तन किसी अधिप्रमाणित साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकेगा। परिवार में विभाजन की दशा में, कुटुंब के पृथकीकरण की प्रविष्टियां केवल ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में, सम्बद्ध कुटुंब के मुखिया द्वारा किए गए आवेदन पर और सम्बद्व वार्ड मेंबर की सिफारिश पर ग्राम सभा द्वारा इसकी साधारण या विशेष बैठक में बहुमत द्वारा पारित संकल्प में लिए गए निर्णय के आधार पर ही की जाएंगी। तथापि, ग्राम सभा कुटुंब के विभाजन के बारे में मामले का विनिश्चय करते समय, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (13–क) के अधीन यथा परिभाषित कुटुंब की परिभाषा को ध्यान में रखेगी। विभाजन के कारण पृथक कुटुंब से प्रविष्टियां, ग्राम सभा के संकल्प की संख्या और तारीख उल्लिखित करते हुए ग्राम सभा के अनुमोदन के तत्काल पश्चात् की जाएंगी। पंचायत निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायत सचिव द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् इन प्रविष्टियों को सत्यापित करें। वह पंचायत सचिव द्वारा प्ररूप–19 क में तैयार किए गोशवारा पर भी डिजिटल हस्ताक्षर करेगा:

परन्तु कुटुंब के पृथक्करण की बाबत ऑनलाइन परिवार रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार विभाजित पृथक कुटुंब की शौचालय में पहुंच/आना जाना नहीं है/हो।

(ग) उप–नियम (3) और (4) का लोप किया जाएगा तथा उप–नियम (5) और (6) को क्रमशः (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।"

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः पीसीएच–एचए(1) 19/2008–III-20020-178- तारीख, शिमला–09 27/04/.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. सयुक्त सचिव (समान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 09.02.2024 (मद संख्या–11) के सन्दर्भ में।
5. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
6. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा जिला शिमला, बैजनाथ जिला कांगडा एवं थुनाग जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी पचांयत समिति, हिमाचल प्रदेश।
8. ई–गजट।

विशेष सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।